भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1973

जिसका उत्तर 3 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

12 आषाढ़, 1941 (शक)

बायोमीट्रिक सूचना में सेंध

1973. डॉ. आलोक कुमार सुमन :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक सूचना में सेंध को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बायोमेट्रिक सूचना को हैक करने वालों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सरकार के लिए भारतीय नागरिकों की बॉयोमेट्रिक सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकारण (यूआईडीएआई) के मौजूदा सुरक्षा नियंत्रण और प्रोटोकॉल डाटा उल्लंघन अथवा हैकिंग के किसी भी प्रयास से निपटने में सक्षम हैं। आधार की सुरक्षा सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यूआईडीएआई ने इसे सर्वाधिक महत्व दिया है। यूआईडीएआई सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकीय मानकों के अनुसार अपनी अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र की लगातार समीक्षा करता है और उसे सुदृढ़ बनाता है।

यूआईडीआई ने न्यूनतम सूचना, न्यूनतम अनभिज्ञता और संघबंद्ध डेटाबेस के तीन आधारभूत सिद्धांतों के साथ बहु-स्तरीय सुरक्षा और निजता संबंधी चिंताओ को आधार की मूलभूत रणनीति में शामिल किया है, जो इसे तुलनात्मक रूप से सुरक्षा का उच्चतर स्तर प्रदान करता है।

बहुत-सी नीतियां और प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं, जिनकी लगातार समीक्षा की जाती है और उन्हें अद्यतन किया जाता है, इस प्रकार यूआईडीएआई के परिसर, विशेष से डाटा केंद्रों में आने-जाने वाले लोगों, सामग्री और डाटा के किसी भी संचलन का उचित ढंग से नियंत्रण और निगरानी की जाती है।

यूआईडीएआई का डाटा हर समय अर्थात निष्क्रिय अवस्था में, पारगमन के दौरान और भंडारण के समय पूरी तरह सुरक्षित और इंक्रिप्टिड रूप में होता है। डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और अधिक मजबूत करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा जांच (ऑडिट) किए जाते हैं तथा डाटा की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं। डाटा की सुरक्षा को मजबूत करना एक निरंतर जारी प्रक्रिया है।

यूआईडीएआई को सूचना सुरक्षा के संदर्भ में एसटीक्यूसी द्वारा आईएसओ 27001 : 2013 से अधिप्रमाणित घोषित किया गया है, जिसने आईटी और सुरक्षा नियंत्रण आश्वासन की एक सतह और जोड़ी है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 की उपधारा (1) के अनुक्रम में यूआईडीएआई डेटा भंडार स्थल को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र द्वारा सुरक्षित प्रणाली के रूप में भी घोषित किया गया है।

(ग) : ऐसी कोई घटनाएं/मामले सामने नहीं आए हैं जो यूआईडीएआई की केन्द्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) से डेटा लीक/उल्लंघन से संबंधित हैं। तथापि यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किए गए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और आधार अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 में अपराधियों के लिए कठोर शास्तियों/दंड का प्रावधान है।

******